


बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

पटना-15, दिनांक 09 अगस्त, 2016

संख्या-1/ पी0-23/2011(खंड)-सा0प्र0-10875/ श्री शीर्षत कपिल अशोक, भा0प्र0से0 (2011), प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद्, पटना अगले आदेश तक अपर नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।


बिहार राज्यपाल के आदेश से,


9/8/16
(कन्हैया लाल साह)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-1/ पी0-23/2011(खंड)-सा0प्र0-10875/पटना-15, दिनांक:09 अगस्त,2016

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित(द्वारा- आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग)/ सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली/महालेखाकार, बिहार, पटना/मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार-सह- प्रधान सचिव, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना/ राज्यपाल, बिहार के प्रधान सचिव, पटना/मुख्य मंत्री, बिहार के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार पटना/ प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/ श्री शीर्षत कपिल अशोक, भा0प्र0से0 (2011), प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद्, पटना / मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/ मुख्य सचिव, बिहार के गोपनीय कोषांग, कम्प्यूटर सेल /अवर सचिव (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), वित्त विभाग, बिहार, पटना /भू-संपदा पदाधिकारी, भवन निर्माण एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/ आई0टी0 मैनेजर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना(विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं वित्त विभाग को सी0डी0 के साथ उपलब्ध कराने हेतु)/सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-1 एवं 6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


9/8/16
(कन्हैया लाल साह)

सरकार के अवर सचिव।